

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक—प.8(5) एटीसी / कन्टी. प्लान / 2019-20 / ५०७-५१८

दिनांक—२०/५/२०१९

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त —
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् समस्त—

विषयः— वर्षा की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर संभाव्य कृषि कार्य योजना बाबत्।

राजस्थान राज्य में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है तथा यहां वर्षा ऋतु (खरीफ) में कई विषम/विपरीत परिस्थितियों बनती हैं, जैसे वर्षा का विलम्ब से प्रारम्भ होना, खरीफ फसलों की बुवाई के बाद, लम्बे समय तक वर्षा का न होना, मानसून का जल्दी समाप्त होना बाढ़/अतिवृष्टि का होना इत्यादि। मानसून की इन विषम परिस्थितियों में कृषकों को विभाग द्वारा सही सलाह देकर कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इस उद्देश्य से मानसून की विषम परिस्थितियों में सम्भाव्य कृषि क्रियाओं से संबंधित तकनीकी कार्ययोजना तैयार कर भिजवायी जा रही है।

आई.सी.ए.आर. के संस्थान सेंट्रल रिसर्च इन्सटीट्यूट फॉर ड्राईलैण्ड एग्रीकल्चर (CRIDA) हैदराबाद द्वारा जिलेवार आकस्मिक कार्य योजना (Contingency Crop Plan) विकसित की गई है जो वेबसाइट <http://agricoop.nic.in/Acp/.htm> पर उपलब्ध है। CRIDA द्वारा तैयार कार्ययोजना को ध्यान में रखकर एवं संबंधित कृषि अनुसंधान केन्द्र/केवीके के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर अपने जिले की आकस्मिक कार्य योजना 30 मई 2019 तक आवश्यक रूप से तैयार करायेगे, जिसकी एक प्रति कृषि आयुक्तालय को भी प्रेषित करावें।

आपके द्वारा तैयार की गई आकस्मिक कृषि कार्य योजना का विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों तथा विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों (समाचार-पत्र/आकाशवाणी/दूरदर्शन/पम्पलेट्स आदि) द्वारा कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी दी जावें और इनको अपनाने हेतु प्रेरित किया जावें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

३०/५/२०१९
(डॉ० मोहन लाल यादव)
आयुक्त कृषि

क्रमांक—प.8(5) एटीसी / कन्टी. प्लान / 2019-20 / ५०७-५१८

दिनांक—२०/५/२०१९

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर।
- 3 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, खाद्य भवन, भू तल, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान जयपुर।
- 5 शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, खाद्य भवन, भू तल, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 अपर निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/एन.एम.ओ.ओ.पी/समन्वय), मु० जयपुर।
- 7 संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/पौध संरक्षण/गुण नियंत्रण/आदान/रसायन/जउप्र/आईसोपोम/एम एण्ड ई/विशेषाधिकारी एवं नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई) मुख्यालय जयपुर।
- 8 मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
- 9 खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी) मुख्यालय जयपुर।
- 10 उप निदेशक कृषि (सूचना/विस्तार/अभियांत्रिकी) मुख्यालय जयपुर।
- 11 प्रभारी अधिकारी, किसान कॉल सेन्टर, कृषि भवन, जयपुर।
- 12 उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी समस्त —

Office

Off./Dy.

987

(देवेन्द्र चौधरी)

संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी)

23/5/19
Almudi P.M.S Jt. M. 100000 1A on 1A24




राजस्थान सरकार
कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर

१

वर्षा की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर
संभाव्य कृषि कार्य योजना

खरीफ -2019

(CONTINGENCY CROP PLAN KHARIF 2019)



संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी)
कमरा नं. 220 कृषि आयुक्तालय
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर (राज०)
(e-mail- jdagr_atc1@rediffmail.com)

वर्षा की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर सम्भाव्य कृषि कार्य योजना (Contingency crop plan)

राज्य में खरीफ की फसलें अधिकांशतः वर्षा आधारित हैं और इनमें सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता कम ही रहती है। विगत वर्षों के अनुभव एवं आंकड़ों के अनुसार राज्य में मानसून प्रायः असमान एवं कमजोर रहता है। इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा आगामी मानसून के सामान्य होने की घोषणा की गई है। कई क्षेत्रों में समय पर वर्षा नहीं होती है तथा कई क्षेत्रों में वर्षा का अंतराल अधिक हो जाता है, कुछ क्षेत्रों में मानसून समय से पूर्व वापस चला जाता है तो कई बार कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि भी हो जाती है। मानसून की ऐसी विषम परिस्थितियाँ फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में कृषकों को विभाग द्वारा सही तकनीकी सलाह देकर कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

वर्षा की विषम परिस्थितियों में फसल उत्पादन के प्रमुख बिन्दु

1. खेत का पानी खेत में तथा गाँव का पानी गाँव में रहे, की अवधारणा के अंतर्गत भूमि में नमी संरक्षण की विधियाँ जैसे खेत में डोली बनाना, मेड बन्दी, ढाल के विपरीत जुताई, गर्मियों में जुताई आदि नमी संरक्षण के कार्य किये जावें।
2. खेत पूरी तरह से समतल हो, जिससे पानी का समान वितरण हो सके।
3. कम से कम तीन वर्ष में एक बार कम्पोस्ट खाद या वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करें, ताकि भूमि की नमीधारण करने की क्षमता एवं उर्वराशक्ति बनी रहे।
4. खेत को जुताई करके तैयार रखा जावे जिससे वर्षा होते ही तुरन्त बुवाई की जा सके।
5. हल्की मिट्टी में वर्षा जल एवं नत्रजन का ह्वास शीघ्रता से होता है। अतः वर्षा के बाद एवं बुवाई के पूर्व हल्की भूमि में अधोमृदा की सतह का काम्पेक्शन 500 किलोग्राम के रोलर से किया जावे जिससे नत्रजन का ह्वास कम हो एवं अधोमृदा में नमी की मात्रा अधिक समय तक रह सके।
6. बुवाई के लिए सीड कम फर्टिड्लिल/जीरो टिल ड्रिल का उपयोग करना चाहिए जिससे मृदा नमी का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
7. फसलों एवं किस्मों का चुनाव क्षेत्र में सामान्य रूप से प्राप्त होने वाली वर्षा एवं मिट्टी के अनुरूप ही किया जावें।
8. फसल बुवाई के तीसरे व चौथे सप्ताह में निराई—गुडाई अवश्य करावें। इससे फसल को पर्याप्त मात्रा में नमी और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
9. मिलवाँ फसलों की, स्थिति अनुसार बुवाई करें एवं फसल चक्र अपनावें।
10. बुवाई के लिए उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज काम में लेवें एवं बुवाई से पूर्व बीज का उपचार अवश्य करें। जिन फसलों के बीज कठोर आवरण के होते हैं उन्हें पानी में भिगोकर बुवाई करना लाभकारी होता है।
11. बुवाई सदैव कतारों में ही करें तथा पौधों व कतारों के बीच उचित दूरी रखें।

12. बुवाई उपरान्त जैविक अवशेष अथवा पॉलीथिन आदि से मलिंग भी की जा सकती है। इससे मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है और बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है।
13. जहाँ तक सम्भव हो सिंचाई के लिए बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जावे। पानी दूर ले जाने की स्थिति में पाईप लाईन का उपयोग करे एवं सिंचाई यदि क्यारियों से करनी आवश्यक हो तो सिंचाई जल का ह्रास कम करने के लिए नालियों में पोलीथीन सीट बिछायी जानी चाहिए। सिंचाई के बाद सीट को इकट्ठा करके रखें।
14. फसल मध्य अवस्था में सूखे की स्थिति होने पर पौधों को बीच-2 में से उखाड़ कर पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाई जानी चाहिए।
15. यदि संभव हो तो फसलों की मेडों पर बुवाई करें तथा सिंचाई एकान्तर कुँड़ों (furrows)में करें और अगली सिंचाई उन्हें छोड़कर अगली एकान्तर कुँड़ों में करें। इससे जल की बचत के साथ-साथ फसल की वृद्धि और उपज अच्छी होती है। फसल की शुरुआती अवस्था में कम पानी की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यकता हो तो हल्की सिंचाई देवें।
16. समय पर कीट व्याधि का नियन्त्रण/प्रबन्धन करे।

मानसून देरी से आने की सम्भावित परिस्थितियों अनुसार फसल योजना

वर्षा होने की सम्भावित तिथि		
15-31 जुलाई	1-15 अगस्त	16-31 अगस्त
तिल, मूंग, ज्वार, चंवला, बाजरा (कम अवधि में पकने वाली किस्में)	तिल, मूंग, चारे के लिए ज्वार/बाजरा चारे के लिए	ज्वार/बाजरा चारे के लिए

खरीफ में उगाई जाने वाली विभिन्न मुख्य फसलों की बुवाई के लिए सिफारिश अनुसार कम अवधि में पकने वाली किस्मों के बीज प्राथमिकता से बुवाई के लिए काम में लिए जावें। विभिन्न फसलों की मुख्य किस्में निम्न प्रकार हैं—

(अ) खाद्यान्न फसलें :

क्र.सं.	फसल	मुख्य किस्में			
1	बाजरा	एचएचबी-67 (इम्पूवड), एचएचबी-173, सीजेडपी-9802, जीएचबी-905, एमबीसी-2, एमपीएमएच-21	आरएचबी-173, एमपीएमएच-17, आरएचबी-154, आरएचबी-121, आरएचबी-173, जीएचबी-744,	आरएचबी-177, आरएचबी-121, जीएचबी-744,	
2	ज्वार	सीएसवी-15, सीएसवी-27, सीएसवी-13, सीएसएच-16, प्रताप ज्वार-1430	सीएसवी-17, एसपीवी-96, प्रताप ज्वार-1430	सीएसवी-20, एसपीवी-245, प्रताप ज्वार-1430	सीएसवी-23, सीएसएच-9,
3	मक्का	एचक्यूपीएम-1, एचक्यूपीएम-5, बायो-9682, मक्का-1, डीएचएम-121 व 117, मक्का-5, पीइएचएम-1	प्रताप क्यूपीएम संकर	मक्का-3, प्रताप संकर मक्का-3, प्रताप	

5

(ब) दलहन फसलें :

क्र.सं.	फसल	मुख्य किस्में
1	मूँग	आईपीएम 02-03, पीडीएम-139, एमएच 421, आरएमजी-62, आरएमजी-268, एमयूएम-2, एसएमएल-668, एस-8, जी एम-04, आर.एम.जी. -492,
2	उड्ड	केयू 96-3, प्रताप उड्ड-1, आरबीयू-38, पीयू-30, पीयू-31, पंतयू-19
3	अरहर	प्रभात, यूपीएस-120, आईसीपीएल-151, आईसीपीएल-87, मानक, पूसा-992
4	ग्वार	आरजीसी-1066, आरजीसी-1033, आरजीसी-936, आरजीसी-986, आरजीसी-1002, आरजीसी-1007, आरजीसी-1017, आरजीसी-1031, आरजीसी-1038, आरजीसी-1055, आरजीसी-1003, एचजी 2-20
5	चैंवला	आरसी-19, एफएस-68, आरसी-101, जेसी-5, सी-152, आरएस-9, आरसीपी-27, एफएस-68, वी-505
6	मौठ	आरएमओ-40, आरएमओ-257, आरएमओ-435, आरएमओ-225, सीजेडएम-2, आईपीसीएमओ-912, एफएमएम-96, आरएमओ-423

(स) तिलहन फसलें :

क्र.सं.	फसल	मुख्य किस्में
1	मूँगफली	एचएनजी-123, जीजी-2, एचएनजी-69, आरजी-141, आरजी-425, आरजी-351, आरजी-510, जे एल-24, टीएजी-24, जीजी-7, टीजी 37-ए, टीबीजी-39, आरएस-1, आरएसवी-87, एके-12-24, प्रताप मूँगफली-1, प्रताप मूँगफली-2, मल्लिका
2	तिल	आरटी-346, आरटी-46, आरटी-351, आरटी-125, आरटी-127, टीसी-25, प्रताप, आरटी-124,
3	अरण्डी	जीसीएच-07, एमआरसीए-409, जीसीएच-5, गॉच-1, आरसीएच -1
4	सोयाबीन	जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 20-34, जेएस 20-29, प्रताप राज सोया-24, प्रताप सोया-1, प्रताप सोया-45, एनआरसी-37, एनआरसी-12, एमएयूएस-81, जेएस 97-52

(स) चारा फसलें :

क्र.सं.	फसल	मुख्य किस्में
1	बाजरा	राज बाजरा चरी, राजको, जायन्ट, एल-72, एल-74
2	ज्वार	एसएसजी-59-3, एमपी चरी, राजस्थान चरी-1, राजस्थान चरी-3, राजस्थान चरी-2, पूसाचरी-6, एमएफएसएच-3
3	मक्का	प्रताप मक्का चरी-6, अफीकन टाल

मानसून की विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के मध्यनजर सम्भाव्य कृषि कार्य निम्न प्रकार से करवाने के प्रयास किये जावें—

(क) सामान्य समय पर (जुलाई के प्रथम पखवाडे तक) वर्षा होने पर :—

1. वर्षा शुरू होने के साथ ही विभिन्न खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, चँवला, मोठ, तिल व ग्वार की बुवाई करें तथा सिफारिश के अनुसार बीज दर व अन्य शब्द क्रियाएँ अपनायें।
2. बाजरे के साथ मूँग, ग्वार व चँवला आदि दलहनी फसलों की अन्तर्फसलें (Inter Cropping) लें।
3. अल्पावधि में पकने पाली उन्नत किस्मों की बुवाई को प्रोत्साहन दें।
4. असिंचित अवस्था में नत्रजन की मात्रा 40% तक कम देनी चाहिए और दी जाने वाली पूरी मात्रा बुवाई पूर्व ऊर कर देनी चाहिए।
5. फसलों में फास्फोरस व पोटाश युक्त उर्वरक की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व दें। इससे फसल में नमी की कमी को सहन करने की क्षमता बढ़ती है।
6. उर्वरकों एवं मृदा सुधारकों का प्रयोग आवश्यकतानुसार मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें।
7. कीट व्याधियों से फसल की रक्षा के लिए समुचित समन्वित पौध सरक्षण उपाय अपनायें तथा बीज का उपचार कर बुवाई करें।
8. भारी वर्षा अथवा अधिक समय तक लगातार वर्षा होने के कारण पानी भराव की स्थिति में खेत से अतिरिक्त पानी के निकास के लिए ढलान के विपरीत नालियाँ बनाकर व्यवस्था इस प्रकार करें कि मिट्टी बहकर बाहर नहीं जावे।
9. धान उत्पादक क्षेत्रों में सामुदायिक पौध शाला (रोपणी) हेतु किसानों को प्रेरित करें।
10. जरूरत पड़ने पर पुनः बुवाई करने हेतु आवश्यक बीज की व्यवस्था करें।

(ख) विलम्ब से (15 जुलाई के बाद) वर्षा शुरू होने पर :—

1. यदि वर्षा जुलाई के दूसरे पखवाडे में (25 जुलाई तक) शुरू हो तो बाजरा (एचएचबी-67 इम्प्रूवड, आरएचबी-121) एवं ज्वार (सीएसएच-9, सीएसएच-13, सीएसएच-16) की कम अवधि में पकने वाली किस्मों की बुवाई करें। 25 जुलाई के बाद वर्षा होने पर अनाज के स्थान पर दलहन (मूँग, मोठ, चौला) व तिलहन (तिल) की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई करें।
2. बुवाई के समय के लिए की गई सिफारिश के अनुसार उर्वरक बुवाई से पूर्व ऊरकर देवें।
3. नमी सरक्षण एवं मृदा आवरण बनाने तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई-गुडाई करें। भारी दोमट भूमि में बक्खर का प्रयोग नमी सरक्षण में लाभकारी रहता है।
4. देर से वर्षा होने की स्थिति में चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार तथा लोबिया की विशुद्ध / मिलवाँ बुवाई करें।
5. जुलाई के अंतिम व अगस्त के प्रथम सप्ताह में वर्षा होने की स्थिति में चारे वाली तथा दलहन फसलें यथा चँवला (आर सी-19), मौठ (आरएमओ-40, आरएमओ-435) व ग्वार (आरजीसी-936) की बुवाई करें।

6. वर्षा देर से प्रारम्भ हो किन्तु सितम्बर तक चले और खरीफ में बुवाई संभव न हो तो ऐसी पड़त भूमि में नमी संरक्षण की विधि अपनाकर तोरिया, तारामीरा, चना, जौ, अलसी और सरसों आदि कम पानी चाहने वाली फसलों की बुवाई करें।
7. यदि अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह तक वर्षा नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी फसल की बुवाई नहीं करें तथा रबी फसलों की बुवाई के लिए नमी संरक्षण के उपाय करें।
8. दलहन व तिलहन फसलों में 15–20 प्रतिशत अधिक बीज दर का प्रयोग करें। बाजरे की जल्दी पकने वाली किस्मों के साथ मूँग, मोठ, चैंवला व ग्वार की मिश्रित फसल लें।
9. उदयपुर सम्भाग में खाद्यान्न फसलें जैसे कांगनी, सावां, कोदो की बुवाई कम उपजाऊ भूमि में वृहद स्तर पर की जावे ताकि किसानों को चारा एवं अन्न प्राप्त हो सके।
10. बुवाई के बाद लगातार वर्षा के कारण कई बार फसल का अंकुरण अच्छा नहीं होने पर पुनः बुवाई करने की स्थिति में बीज की मात्रा 10–20 प्रतिशत अधिक रखनी चाहिए।
11. प्रमाणित बीज उपलब्ध न होने की स्थिति में कृषक अपने पास उपलब्ध बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण कर उसे काम में ले सकते हैं।

(ग) दो वर्षा के बीच में लम्बे समय तक सूखे की स्थिति होने पर :-

1. सामान्य समय पर बुवाई के 10–15 दिन बाद ही सूखे की स्थिति होने पर बोई गई फसलों के बीज अंकुरित नहीं होने अथवा अंकुरण उपरान्त सूख जाने पर वर्षा पुनः प्राप्त हो जाती है तो वैकल्पिक फसलों/अल्पावधि किस्मों की 15–20 प्रतिशत अधिक बीज दर रखकर बुवाई की जानी चाहिये।
2. यदि सूखे की स्थिति 30–45 दिन बाद आती है तो उपलब्ध नमी को ध्यान में रखते हुए उचित पौधे—संख्या बनाए रखने हेतु फसल में पौधों की छँटाई करें। अनाज तथा दलहन/तिलहन फसलों की अर्न्त-फसलों (Inter cropping) में से अनाज वाली फसल के पौधों की संख्या कम कर दें। अधिक सूखे की स्थिति में इसके पौधों को उखाड़कर चारे के रूप में काम में लें।
3. यदि फसल लम्बे अन्तराल पर वर्षा नहीं होने से 15 अगस्त तक सूख जाती है तो इसके बाद वर्षा होने पर नमी संरक्षण उपाय अपनावें तथा तोरिया, सरसों, अलसी, धनियाँ व चना फसलों की बुवाई के लिए खेत खाली रखें।
4. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में सामयिक जीवन रक्षक सिंचाई (Life Saving Irrigation) करें।
5. सूखे के कारण फसल खराब हो जाने पर इसका चारे के रूप में उपयोग करें।
6. सतह आवरण/पलवार (मल्विंग) द्वारा नमी संरक्षण करें। पौधों की कतारों के बीच मल्विंग करने से नमी का ह्रास कम होता है। इसके लिए खरपतवारों को

- निकालकर कतारों के बीच में ही डाल दें अथवा पॉलीथिन शीट्स, जैविक खाद आदि डालें।
7. यथा संभव निराई-गुडाई बार-बार करें। इससे खरपतवार नष्ट होते हैं और मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है।

(ग) वर्षा जल्दी (15–20 अगस्त तक) समाप्त होने पर :-

1. खेत से खरपतवार निकालें और उखाड़े हुए खरपतवारों के पौधें फसलों की कतारों के बीच सतह आवरण के रूप में बिछावें, ताकि भूमि की सतह से वाष्पीकरण कम हो।
2. मिलवाँ फसलों में से संवेदनशील फसल जिसके नष्ट हो जाने की आशंका हो उखाड़ दें। उखाड़ी हुई फसल का चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. यदि फसल के पूर्णतः नष्ट हो जाने की आशंका हो तो फसल को हरे चारे के रूप में काम में लें।
4. यदि खड़ीन या खेत में किसी कुण्ड में वर्षा का जल एकत्रित किया हो अथवा सिंचाई जल के अन्य स्रोत हो तो इस पानी से फसलों में बीज बनने की प्रारम्भिक अवस्था पर जीवन रक्षक सिंचाई करें।
5. कीट एवं व्याधियों से फसल की सुरक्षा के लिए पौध संरक्षण रसायनों का पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे कीट व्याधियों की रोकथाम के साथ पानी की भी पूर्ति होती है।
6. खड़ी फसल में नमी संरक्षण हेतु कतारों के बीच बक्खर चला कर मृदा आवरण करें।
7. मक्का की फसल से हरे भुट्टे तोड़ लें तथा फसल को चारे के रूप में उपयोग करें।
8. सूखे की स्थिति में खड़ी फसल में नत्रजन उर्वरक नहीं डालें।
9. रबी के दौरान खड़ीनों में गेहूँ/जौ या चने की अगेती बुवाई करें।

(घ) लम्बे सूखे के बाद मानसून के अंत में भारी वर्षा होने पर :-

इस स्थिति में भूमि में नमी संरक्षण की क्रियाएँ अपनाई जानी चाहिये ताकि वर्षा से प्राप्त जल को अधिक से अधिक खेत में रोका जा सके और रबी के मौसम में फसलों की सफल खेती संभव हो सके। पानी/नमी संरक्षण हेतु सामान्यतः निम्न वर्णित कृषि क्रियाएँ कारगर पाई गई हैं –

1. खेतों की मेडों को मजबूत करें ताकि पानी खेत से बाहर न जा सके।
2. सामयिक भूपरिष्करण (जुताई, पाटा लगाना आदि) द्वारा नमी संरक्षण।
3. खड़ी फसल में खरपतवार नियन्त्रण तथा उखाड़े खरपतवार से मलिंग करना।
4. खाली खेतों में पशुओं की नियन्त्रित चराई।
5. खड़ीन/खेत तलाई/निचले स्थानों में जल का एकत्रीकरण।

6. अल्प अवधि तथा अधिक उत्पादन देने वाली रबी फसलों की विभागीय अनुशंसा अनुसार बुवाई।

(अ) भारी वर्षा व बाढ़ की स्थिति होने पर :-

1. खेत में अतिरिक्त पानी के निकास की व्यवस्था करें।
 2. यदि भारी वर्षा व बाढ़ के प्रकोप से फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों परन्तु बाद में बाढ़ की स्थिति सुधर गई हो तो—
- (अ) 15 अगस्त के पहले दलहन/तिलहन अल्पावधि फसलों की किस्मों की 15–20 प्रतिशत अधिक बीज दर रखकर बुवाई करें।
- (ब) अगस्त के दूसरे पखवाड़े में चारे के लिए ज्वार, बाजरा व ग्वार बोएं या रबी की फसलों के लिए खेत खाली रखें।
3. यदि बोई गई अनाज व तिलहन फसलों की बढ़वार कम दिखाई दे तो खड़ी फसल में नत्रजनीय उर्वरक दे।
 4. कीटों व बीमारियों का भारी प्रकोप होने की स्थिति में सिफारिशानुसार समुचित पौध संरक्षण उपाय अपनावें।
 5. बाढ़ सम्भावित निचले भारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में धान की बुवाई करें।

(च) कम वर्षा/सूखे की स्थिति में सतही तथा भूजल का सही ढंग से उपयोग :-

कम वर्षा अथवा सूखे की स्थिति में भूजल का पुर्नभरण नहीं हो पाता है इससे निम्न प्रभाव पड़ते हैं—

1. सिंचाई के लिए भूजल की कमी।
2. मृदा तथा भूजल में लवणों की सांद्रता में वृद्धि।
3. जल में विशेष आयनों यथा फ्लूओराइड्स, नाइट्रेट्स की सांद्रता में वृद्धि।
4. पशुओं को पीने के पानी के प्राकृतिक स्त्रोतों यथा तालाबों, झीलों आदि की कमी।

ऐसी स्थिति में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु निम्न उपाय करें—

1. सिंचाई के लिए विशेष रूप से वाणिज्यिक एवं उद्यानिकी फसलों के लिए बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग।
2. जिन क्षेत्रों में निम्न गुणवत्ता का पानी उपलब्ध हो वहाँ एकान्तर सिंचाई अथवा अच्छे पानी के साथ सीमित मात्रा में मिलाकर सिंचाई की जा सकती है।
3. यदि उपलब्ध जल में अवशेष सोडियम कार्बोनेट (Residual Sodium Carbonate) की मात्रा अधिक हो तो मृदा में जिप्सम का उपयोग करते हुए इसका सिंचाई के लिए सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जिप्सम के उपयोग हेतु अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जावे।

4. लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में वर्षा कम हो, खरीफ में खेत खाली रह जाये तो माह सितम्बर में हल्का पलेवा करके तोरिया की बुवाई करनी चाहिए।
5. सिंचाई जल लवणीय होने की स्थिति में इसबगोल की खेती की जा सकती है।

सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना—

क्र. सं.	फसल	किस्में	15-31 जुलाई	1-10 अगस्त	10-20 अगस्त
1	बाजरा + चंवला(चारे के लिए)	राज 171 + सी-152, आरएस-19	हाँ	हाँ	हाँ
	अथवा बाजरा + मोठ(चारे के लिए)	राज 171 + आरएमओ-40, आरएमओ-257	हाँ	हाँ	नहीं
2	मोठ	आरएमओ-40 आरएमओ-257	हाँ	हाँ	आरएमओ-40
3	ग्वार	आरजीसी-936	हाँ	हाँ	हाँ

नोट:- उक्त फसलों की बुवाई के लिए 10 प्रतिशत बीज की मात्रा अधिक लेवें।

(छ) पशुओं के लिए गुणवत्ता युक्त चारे की व्यवस्था:-

कमज़ोर मानसून/सूखे की स्थिति में उपज कम होने से फसली अवशेषों के रूप में चारे की कमी रहती है तथा हरे चारे की उपलब्धता भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में निम्न उपाय लाभकारी रहते हैं—

1. हल्की वर्षा की स्थिति में मक्का अथवा बाजरे के साथ चंवला की बुवाई की जा सकती है।
2. पशुओं के लिए पूरक आहार यथा यूरिया मोलेसेज मिनरल ब्लॉक आदि का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जावे।
3. पेड़ों की पत्तियाँ एवं फली/फल आदि को चारे के रूप में काम में लेना चाहिए। विलायती बबूल की फलियों में प्रोटीन और सुक्रोज होता है।
4. सब्जियों और फलों के अवशेष, सब्जी, फार्म एवं खाद्य प्रसंस्करण संयत्रों के उप-उत्पाद आदि एकत्रित कर पशुओं को खिलाने के काम में लिया जा सकता है। इनको धूप में सुखाकर दूरस्थ स्थानों पर आवश्यकतानुसार ले जाया जा सकता है।
5. पशुओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु कैम्प आयोजित किये जा सकते हैं।
6. पड़ोसी राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में भूसा, धान की पुआल को हर वर्ष नष्ट कर दिया जाता है जो एक अनुचित पद्धति है। इसे सही तरीके से काटकर, बांधकर 4% यूरिया अथवा मोलेसेज से उपचारित कर चारे की कमी वाले क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के काम में लिया जा सकता है। इसे रोटावेटर द्वारा भूमि में भी मिलाया जा सकता है।
7. विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पेड़ों अथवा खाली क्षेत्रों में उगने वाली बहुवर्षीय घासों यथा गिनी घास, नेपियर घास आदि को काटकर एकत्रित कर चारे की कमी वाले क्षेत्रों में परिवहन किया जा सकता है।

- ॥
8. संरक्षित नमी अथवा हल्की सिंचाई देकर सितम्बर माह में सरसों, गोभी सरसों, अथवा मक्का की बुवाई कर नवम्बर में चारे के रूप में कटाई कर अन्य फसल की रबी में बुवाई कर सकते हैं।
 9. सिंचित अवस्था में जल्दी हरा चारा प्राप्त करने के लिए सितम्बर माह में बरसीम अथवा चाईनीज गोभी की बुवाई करें। कम पानी की अवस्था में सैंजी अथवा रिजका की बुवाई करें।
 10. बहु उददेश्यीय फसलों/किस्मों की बुवाई करें। उदाहरणार्थ जौ की RD-2715 किस्म की अकटूबर में बुवाई करने पर बुवाई के 50-60 दिन बाद एक कटाई चारे के लिए कर छोड़ने पर अनाज भी प्राप्त हो जाता है।
 11. अनाज वाली चारे की फसलों में यूरिया का छिड़काव करने पर उनमें अधिक वृद्धि होती है, तथा प्रोटीन में वृद्धि होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय— संबंधित विभागों यथा सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, सीएडी, उर्जा, आपदा प्रबन्धन, राजस्व आदि विभागों के अधिकारियों से समय पूर्व समन्वय करें ताकि विषम परिस्थितियों से निवटा जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— क्षेत्र के कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, इस हेतु कृषकों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

जिलों में पदस्थापित विभाग के समस्त अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र के कृषकों के निरंतर सम्पर्क में रहेंगे तथा वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम करने हेतु तकनीकी जानकारी देंगे। इस दौरान विभागीय कार्मिकों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए कार्यों यथा कृषकों की समस्या एवं उनका निराकरण, का संधारण कम्प्यूटर के माध्यम से निम्न प्रारूप में करेंगे।

क्र. सं.	क्षेत्र	किसान का नाम एवं पता	कृषि सम्बन्धी समस्या	विभागीय कार्मिक द्वारा सुझाए गए निराकरण का विवरण

सम्बन्धित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा इनका संकलन जिला स्तर पर किया जावेगा। आवश्यकता होने पर क्षेत्र के अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक जिले में स्थापित के.वी.के./ए.टी.सी./कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्धित विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे।

उपरोक्त कार्य कलापो से जहाँ एक और कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा वही दूसरी ओर राज्य में तेजी से घटते जल स्तर को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।